रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-05032022-233962
SG-DL-E-05032022-233962

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 132]	दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 4, 2022/फाल्गुन 13, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 492
No. 132]	DELHI, FRIDAY, MARCH 4, 2022/PHALGUNA 13, 1943	[N. C. T. D. No. 492

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शिक्षा निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 4 मार्च, 2022

सं. फा. डी.ई.2(8) (104)/स्था0–II/2005/249.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. फा. 27/59–एचआईएम (I) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 28/06/1973 की अधिसूचना संख्या फा. 2(41)/72– एस–II के अनुसार लेक्चरर (इंजीनियरिंग ड्राइंग) के पद की भर्ती नियमावली के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग से पूर्व परामर्श के पश्चात् शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में स्नातकोत्तर शिक्षक (इंजीनियरिंग ग्राफिक्स) के पद हेतु निम्नलिखित भर्ती नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.**—(1) इन नियमों को स्नातकोत्तर शिक्षक (इंजीनियरिंग ग्राफिक्स) भर्ती नियमावली 2021 कहा जाएगा।

   (2) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर/वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर/वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु–सीमा तथा योग्यता इत्यादि.**—उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु–सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

अयोग्यता.—ऐसा कोई भी व्यक्ति

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है,

वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो आदेश द्वारा तथा कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंधों में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।

6. **बचाव.**—इन नियमों की किसी भी बात का सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	**पदनाम**	:	स्नातकोत्तर शिक्षक (इंजीनियरिंग ग्राफिक्स)
2.	**पदों की संख्या**	:	20* (2019) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3.	**वर्गीकरण**	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा अलिपिकीय अराजपत्रित, समूह 'ख'
4.	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	:	08 **टिप्पणी** : वेतन मैट्रिक्स के लेवल – 08 (47600–151100/– रुपये)
5.	**क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद है**	:	लागू नहीं ।
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु–सीमा**	:	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय) **6 (क) महत्वपूर्ण विवरण** आयु–सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी, जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि हो, (तथा यह असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीज़न व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं**	:	**अनिवार्य योग्यता** : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरिंग (सिविल/मकैनिकल) में उपाधि अथवा कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ वास्तुकला में उपाधि अथवा समकक्ष **टीप 1**– .उत्तरवर्ती पदोन्नति के लिए किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बी.एड/ बी.ए.एड/ बी.एससी एड की उपाधि अनिवार्य

			होगी **टीप–2**: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है। **टीप –3** : यदि चयन की किसी अवस्था में सक्षम प्राधिकारी के अभिमत से अनुसूचित जाति या /जनजाति के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है।
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	:	आयु – लागू नहीं शैक्षणिक योग्यता – लागू नहीं
9.	**परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	:	दो वर्ष
10.	**भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	सीधी भर्ती – 100 प्रतिशत **टीप**:– पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर चले जाने या दीर्घकालिक रूग्णता या अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष की अवधि या अधिक अवधि के लिये हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले उन अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जा सकेगी जो कॉलम 7 के अन्तर्गत निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं एवं अनुभव रखते हो। (प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु–सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख तक 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)
11.	**यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन किया जाना है**	:	लागू नहीं
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?**	:	सीधी भर्ती का स्थाईकरण 1. सचिव; (शिक्षा) रा.रा.क्षे.दि.स. 2. निदेशक (शिक्षा), रा.रा.क्षे.दि.स. 3. विशेष /अपर सचिव (योजना), रा.रा.क्षे.दि.स. 4. विशेष /अपर सचिव (शिक्षा),
13.	**वे परिस्थितियॉ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

शिंगारे रामचंद्र महादेव, संयुक्त सचिव (शिक्षा)

DIRECTORATE OF EDUCATION

NOTIFICATION

Delhi, the 4th March, 2022

No. F. DE.2(8) (104)/E-II/2005/249.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affair's Notification No. F.27/59-Him (i) dated the 13th July, 1959 and in supersession of recruitment rules for the post of Lecturer (Engineering Drawing) notified vide notification No. F.2(41)/72-S. II, dated 28/06/1973 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi after prior consultation with the Union Public Service Commission, is pleased to make following recruitment rules for the post of Post Graduate Teacher (Engineering Graphics) in the Directorate of Education, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement**.—(i) These rules may be called Post Graduate Teacher (Engineering Graphics) Recruitment Rules, 2021.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix/scale of pay**.—The number of the said post, their classification and level in pay matrix/scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualification etc**.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualification and other matter connected therewith, shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. **Disqualifications**.—No person,

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living;

or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax in consultation with Union Public Service Commission for any of the provisions of these rules with respect in any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall effect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1. Name of Post.	:	Post Graduate Teacher (Engineering Graphics).
2. Number of post.	:	20* (2019) *Subject to variation dependent on workload.
3. Classification.	:	General Central Service, Non-Ministerial, Non-Gazetted , Group, B.
4. Pay Level in the Pay Matrix.	:	8 Remarks: Level -8 (Rs.47600-151100) in the Pay Matrix.
5. Whether selection post/ non-selection post.	:	Not applicable
6. Age-Limits for Direct Recruits.	:	Not exceeding 30 Years. (Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issue by Central Govt.) **6 (a) Crucial description:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India. (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union Territory of Ladakh, Lahaul & Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep).

7. Educational and other qualifications required for direct recruits.	:	Essential Qualification : Degree in Engineering (Civil/Mechanical) or in Architecture with at least 50 percent marks or equivalent from a recognized University or Institute. Note 1: For subsequent promotion, possessing of degree of B.Ed./B.A.Ed./B.Sc.Ed. from a recognized university or institute would be necessary. Note: 2 : Qualifications are relaxable at the discretion of Competent Authority in case of candidates otherwise well qualified. Note 3 : The qualification (s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.
8. Whether age and Educational Qualifications prescribed for Direct Recruitment will apply in the case of promotees.	:	Age: NA. Educational Qualifications : NA
9. Period of Probation, if any	:	Two Years
10. Method of Recruitment, whether by Direct recruitment or by promotion or by Deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.		Direct recruitment - 100% **<u>Note :</u>** NOTE : Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government/State Government/UTs holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department and possessing the educational qualifications prescribed for direct recruits under column 7. (The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of applications.)
11. In case of recruitment by promotion/ Deputation/absorption grades from which promotion/ Deputation/absorption to be made.	:	Not Applicable
12. If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	:	**<u>Confirmation of DR</u>** 1.Secretary (Education), Govt. of NCT of Delhi 2. Director of Education, Govt. of NCT of Delhi 3. Special/Additional Secretary (Plg), Govt. of NCT of Delhi 4. Special/Additional Secretary (Education.)
13. Circumstances in which UPSC to consulted in making recruitment	:	Consultation with UPSC is not necessary.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

SHINGARE RAMCHANDRA MAHADEV, Jt. Secy. (Education)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.03.05 17:26:14 +05'30'